शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-भा0स0-82/29-6-2022

प्रेषक,

वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 21/03/2022

विषय-बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु वेब-पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना राज्य सरकार का दायित्व है। उक्त अधिनियम का मूल उद्देश्य प्रत्येक वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अधिनियम में निहित व्यवस्था के आलोक में विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड निर्गत करते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था एवं तदनुसार प्रदेश के लगभग 14 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, परन्तु यह भी देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे नागरिक है, जिनके पास अपना कोई आवास नहीं है तथा आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचान-पत्र के अभाव में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होते हैं वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं। राज्य सरकार इस प्रकार के वंचित व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

2- आधार कार्ड निर्गत करने के लिए पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों की **सूची संलग्न** है। उक्त सूची में अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा निर्गत फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे :-

(1) राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार ।

(2) मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के Superintendent/Warden/Matron/Head of Institute of recognise shelter homes orphanages etc.

(3) ग्राम पंचायत के प्रमुख अथवा मुखिया अथवा उसके समकक्ष प्राधिकारी।

3- उपरोक्त व्यवस्थानुसार पात्र किन्तु खाद्यान्न से वंचित व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पहचान प्रमाण-पत्र सुलभ कराते हुए आधार कार्ड निर्गत किये जाने होंगे। तदोपरान्त आधार कार्ड के आधार पर राशन कार्ड भी निर्गत किये जाने होंगे। संबंधित पात्र व्यक्तियों का वेब पोर्टल पर पंजीकरण हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रति संलग्न है। राशन कार्ड निर्गत करने की कार्यवाही के क्रम में सर्वप्रथम आवश्यक है कि अनेक सार्वजनिक स्थलों जैसे धार्मिक स्थल, पार्क, महत्वपूर्ण स्थल जहां आम जनमानस बहुतायत में आते हों, चौराहों, कचरा पात्रों, कचरा गिराने के स्थानों अथवा अन्य स्थानों पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति, जो पात्र हों, किन्तु खाद्यान्न से

वंचित हों, का सत्यापन करते हुए चिन्हित करने की कार्यवाही की जाए। इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों, मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों, आम जनमानस का भी सहयोग लिया जाए। इस कार्य को मण्डलायुक्त अपने पर्यवेक्षण में जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी के सहयोग से करायेंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो पात्र होते हुए भी खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित है तो उसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी हेल्पलाइन नंबर-18001800150 पर सूचना दी जा सकती है। उपरोक्त हेल्पलाइन नम्बर पर प्राप्त सूचना/विवरण का सत्यापन यथास्थिति ग्राम पंचायत के लेखपाल तथा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में नगर महापौर/नगर आयुक्त द्वारा नामित व्यक्ति से कराते हुए सूची तैयार करायी जाएगी।

4. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में ऑफलाइन आवेदन पूर्ण कर संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे, जिन्हें जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा। ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरने पर वह जिला पूर्ति अधिकारी लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, जिसे जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी को सत्यापन हेतु ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा। आयुक्त खाद्य एवं रसद द्वारा सत्यापन की ऑनलाइन कार्यवाही हेतु आवश्यक व्यवस्था एन0आई0सी0 के सहयोग से सुनिश्चित कराई जाएगी तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जायेगा।

5. सत्यापनकर्ता अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वे यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आवेदक भारत का नागरिक हो। सत्यापन स्थल पर कितने समय से निवासित है, उसकी आजीविका के स्रोत क्या हैं? इस हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग की सहायता भी ली जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति का पंजीकरण स्वैच्छिक संस्था द्वारा आपूर्ति कार्यालय में कराया जा रहा है, तो आपूर्ति कार्यालय पंजीकरण कराने वाली संस्था का समस्त विवरण यथा- पंजीकरण संख्या, आय का स्रोत, बैंक डिटेल्स आदि विवरण की भली-भांति जांच कर लेंगे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्था ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। यदि संस्था ब्लैक लिस्टेड है तो ऐसी संस्था द्वारा कराया गया कोई भी पंजीकरण अमान्य कर दिया जायेगा।

6. वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्राथमिकता के आधार अभियान चलाकर उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही 01 माह में सुनिश्चित करा ली जाये तथा चिन्हित लाभार्थियों के विवरण सहित सूची आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग को ईमेल आई0डी0 up.fncs@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि पात्रता के आधार पर इन वंचितों को राशन कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सम्पन्न हो सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

Signed by वीना कुमारी
Date: 21-03-2022 18:45:32
Reason: Approved

(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस संबंध में अपने स्तर से प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

AADHAAR

Mera Aadhaar, Meri Pehchaan

LIST OF ACCEPTABLE SUPPORTING DOCUMENTS FOR VERIFICATION

. Central/ State Pension Payment Order
Central Government Health Service Scheme Photo Card or Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Photo card
. School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer Certificate (TC), containing Name and Date of Birth
. Extract of School Records issued by Head of School containing Name, Date of Birth and Photograph
Certificate of Identity containing Name, DOB and Photo issued by Recognized Educational Institution signed by Head of Institute on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
Certificate of identity containing Name, DOB and Photograph issued by Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update

POA (Proof of Address) documents containing Name and Address

Passport
Bank Statement/ Passbook
Post Office Account Statement/ Passbook
Ration Card
Voter ID
Driving License
Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
Electricity Bill (not older than 3 months)
Water Bill (not older than 3 months)
Telephone Landline Bill (not older than 3 months)
Property Tax Receipt (not older than 1 year)
Credit Card Statement (not older than 3 months)
Insurance Policy
Signed Letter having Photo from Bank on letterhead
Signed Letter having Photo issued by registered Company on letterhead
Signed Letter having Photo issued by Recognized Educational Institution on letterhead or Photo ID having address issued by Recognized Educational Institution
NREGS Job Card
Arms License
Pensioner Card
Freedom Fighter Card
Kissan Passbook
CGHS/ ECHS Card
Certificate of Address having photo issued by MP or MLA or MLC or Gazetted Officer or Tehsildar on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update

24. Certificate of Address issued by Village Panchayat head or its equivalent authority (for rural areas) on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
25. Income Tax Assessment Order
26. Vehicle Registration Certificate
27. Registered Sale/ Lease/ Rent Agreement
28. Address Card having Photo issued by Department of Posts
29. Caste and Domicile Certificate having Photo issued by State Govt
30. Disability ID Card/ handicapped medical certificate issued by the respective State/ UT Governments/ Administrations
31. Gas Connection Bill (not older than 3 months)
32. Passport of Spouse
33. Passport of Parents (in case of Minor)
34. Allotment letter of accommodation issued by Central/ State Govt. (not more than 3 years old)
35. Marriage Certificate issued by the Government, containing address
36. Bhamashah Card/Jan-Aadhaar card issued by Govt. of Rajasthan
37. Certificate from Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognized shelter homes or orphanages etc. on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
38. Certificate of Address having photo issued by Municipal Councillor on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
39. Identity Card issued by recognized educational institutions
40. SSLC book having photograph
41. School Identity card
42. School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer Certificate (TC), containing Name and Address
43. Extract of School Records containing Name, Address and Photograph issued by Head of School
44. Certificate of Identity containing Name, Address and Photo issued by Recognized Educational Institution signed by Head of Institute on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
45. Certificate of identity containing Name, DOB and Photograph issued by Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update

Bring original documents for Enrolment/ Update. No photocopy required. Original documents are scanned and given back to you.

AADHAAR

Mera Aadhaar, Meri Pehchaan

02nd Nov, 2020

LIST OF ACCEPTABLE SUPPORTING DOCUMENTS FOR VERIFICATION

POI (Proof of Identity) documents containing Name and Photo

Passport
PAN Card
Ration/ PDS Photo Card
Voter ID
Driving License
Government Photo ID Cards/ Service photo identity card issued by PSU
NREGS Job Card
Photo ID issued by Recognized Educational Institution
Arms License
Photo Bank ATM Card
Photo Credit Card
Pensioner Photo Card
Freedom Fighter Photo Card
Kissan Photo Passbook
CGHS/ ECHS Photo Card
Address Card having Name and Photo issued by Department of Posts
Certificate of Identity having photo issued by Gazetted Officer or Tehsildar on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
Disability ID Card/ handicapped medical certificate issued by the respective State/ UT Governments/ Administrations
Bhamashah Card/Jan-Aadhaar card issued by Govt. of Rajasthan
Certificate from Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognized shelter homes or orphanages etc. on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
Certificate of Identity having photo issued by MP or MLA or MLC or Municipal Councilor on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
Certificate of Identity having photo issued by Village Panchayat Head or Mukhiya or its equivalent authority (for rural areas) on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
Gazette notification for name change
Marriage certificate with photograph
RSBY Card
SSLC book having candidates photograph
ST/ SC/ OBC certificate with photograph
School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer Certificate (TC), containing name and photograph
Extract of School Records issued by Head of School containing name and photograph
Bank Pass Book having name and photograph
Certificate of Identity containing name and photo issued by Recognized Educational Institution signed by Head of Institution on UIDAI standard certificate format for

32. Certificate of identity containing Name, DOB and Photograph issued by Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update

POR (Proof of Relationship) documents containing Name of applicant and Name of HoF (Head of Family)

1. PDS Card
2. MNREGA Job Card
3. CGHS/ State Government/ ECHS/ ESIC Medical card
4. Pension Card
5. Army Canteen Card
6. Passport
7. Birth Certificate issued by Registrar of Birth, Municipal Corporation and other notified local government bodies like Taluk, Tehsil etc.
8. Any other Central/ State government issued family entitlement document
9. Marriage Certificate issued by the government
10. Address card having name and photo issued by Department of Posts
11. Bhamashah Card/Jan-Aadhaar card issued by Govt. of Rajasthan
12. Discharge card/ slip issued by Government hospitals for birth of a child
13. Certificate of Identity having photo issued by MP or MLA or MLC or Municipal Councillor or Gazetted Officer on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
14. Certificate of Identity having photo and relationship with HoF issued by Village Panchayat Head or Mukhiya or its equivalent authority (for rural areas) on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update

DOB (Date of Birth) documents containing Name and DOB

1. Birth Certificate
2. SSLC Book/ Certificate
3. Passport
4. Certificate of Date of Birth issued by Group A Gazetted Officer on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update
5. A certificate (on UIDAI standard certificate format for enrolment/ update) or ID Card having photo and Date of Birth (DOB) duly signed and issued by a Government authority
6. Photo ID card having Date of Birth, issued by Recognized Educational Institution
7. PAN Card
8. Marksheet issued by any Government Board or University
9. Government Photo ID Card/ Photo Identity Card issued

आश्रयहीन/कचरा उठाने वाले आदि वंचितों के पंजीकरण हेतु सत्यापन–प्रपत्र (ग्रामीण)

फोटो

भाग–एक

भाग–क

1. नाम (हिन्दी में)	श्रीमती/कु0/श्री	2. नाम (अंग्रेजी में)	Smt/Km/Shri
3.पिता का नाम (हिन्दी में)	श्री	4. पिता का नाम (अंग्रेजी में)	Shri
5.पति का नाम (हिन्दी में)	श्री	6. पति का नाम (अंग्रेजी में)	Shri
7.वर्ग	सा0 / अ0ज0जा0 / अ0जा0 / अ0पि0व0	8. मोबाईल नं0*	+ 9 1
9. बैंक खाते का विवरण, यदि उपलब्ध हो।	(a) बैंक का नाम	(b) बैंक शाखा	
	(c) IFSC कोड	(d) बैंक खाता संख्या	
10. मुखिया का आधार कार्ड नं0 यदि उपलब्ध हो।		11. लिंग (म0/पु0/अन्य)	12. पेशा/व्यवसाय

भाग–ख

1.जन्म तिथि	/ /		वर्तमान आयु		वर्ष
2.वर्तमान निवास विवरण	(a) मकान संख्या		(b) ग्राम का नाम		
	(c) ग्राम पंचायत का नाम		(d) विकास खण्ड का नाम		
	(e) तहसील का नाम		(f) जिला का नाम		
3.स्थायी निवास विवरण	(a) मकान संख्या		(b) बिल्डिंग/अपार्टमेंट/सड़क		
	(c) सेक्टर/खण्ड/मोहल्ला		(d) लैण्डमार्क		
	(e) वार्ड संख्या		(f) ग्राम पंचायत/ब्लॉक का नाम		
	(g) नगर क्षेत्र का नाम		(h) जिला का नाम		
4. यदि पूर्व में कोई राशन कार्ड निर्गत है तो उसका विवरण			5. नागरिकता		

6. परिवार का विवरण

क्र. सं.	सदस्य का नाम (हिन्दी में)	पिता/पति का नाम (हिन्दी में)	लिंग	मुखिया से सम्बन्ध	जन्म तिथि (dd/mm/yyyy)	आधार संख्या	सदस्य की कुल वार्षिक आय
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
	योग (सकल संसाधनों से परिवार की कुल वार्षिक आय रू0 में) परिवार का आय प्रमाण–पत्र संलग्न करें						

आवेदक का हस्ताक्षर/निशानी अँगूठा

भाग–दो

निष्कासन के आधार (एक्सक्लूजन क्राइटेरिया)

1. क्या आयकर दाता है ?	हाँ		नहीं	
2. परिवार में चार पहिया वाहन है ?	हाँ		नहीं	
3. परिवार में ट्रैक्टर है ?	हाँ		नहीं	
4. परिवार में हारवेस्टर है ?	हाँ		नहीं	
5. परिवार में ए0सी0 है ?	हाँ		नहीं	
6. परिवार में 5 के0वी0ए0 या उससे अधिक का जनरेटर है ?	हाँ		नहीं	
7. परिवार के समस्त सदस्यों के पास कुल उपलब्ध सिंचित भूमि (एकड़ में)	हाँ		नहीं	
8. परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंसों की संख्या	हाँ		नहीं	

इन्क्लूजन क्राइटेरिया (यदि निष्कासन आधार के अन्तर्गत न आते हों)

।. क्या व्यक्ति या उनके परिवार निम्न में से हैं –				
क. भिक्षावृत्ति कराने वाले	हाँ		नहीं	
ख. घरेलू काम–काज करने वाले	हाँ		नहीं	
ग. जूते–चप्पल की मरम्मत करने वाले	हाँ		नहीं	
घ. फेरी लगाने वाले / खोमचे वाले / रिक्शा चालक आदि	हाँ		नहीं	
ङ. कुष्ठ रोग / कैंसर / एड्स से पीड़ित	हाँ		नहीं	
च. अनाथ / माता–विहीन बच्चे	हाँ		नहीं	
छ. स्वच्छकार	हाँ		नहीं	
ज. दैनिक वेतनभोगी मज़दूर यथा – कुली, पल्लेदार आदि	हाँ		नहीं	
झ. भूमिहीन मजदूरों के परिवार	हाँ		नहीं	
ञ. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण – पत्र के आधार पर)	हाँ		नहीं	
ट. परित्यक्त महिलायें	हाँ		नहीं	
ठ. परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग (कोई सदस्य भी) अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है।	हाँ		नहीं	
ड. आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हों जो उनकी निजी भूमि पर हों तथा जिनमें वे स्वयं निवास करते हों।	हाँ		नहीं	
ढ. आश्रयहीन / कचरा उठाने वाले आदि	हाँ		नहीं	

आवेदक का हस्ताक्षर / निशानी अँगूठा

भाग–तीन

केवल सत्यापनकर्ता अधिकारी हेतु

	क्या आवेदक द्वारा ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण की गयी हैं ?	हाँ		नहीं	
	क्या आवेदक द्वारा ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक संलग्नक संलग्न किए गए हैं ?	हाँ		नहीं	
	सत्यापनोपरान्त पायी गयी पात्रता / अपात्रता की स्थिति	पात्र		अपात्र	
	पंजीकरण के संबंध में संस्तुति	पंजीकरण योग्य पाया गया		पंजीकरण योग्य नहीं पाया गया	

सत्यापनकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
नाम / पदनाम –
मोबाईल नं0 –

आश्रयहीन/कचरा उठाने वाले आदि वंचितों के पंजीकरण हेतु सत्यापन–प्रपत्र (नगरीय)

फोटो

भाग–एक

भाग–क

1.गृहस्थी की महिला मुखिया का नाम (हिन्दी मे) (उपरोक्त दिए गए प्रावधान के अनुसार)	श्रीमती/कु0/श्री	2. गृहस्थी के मुखिया का नाम (अंग्रेजी मे) (उपरोक्त दिए गए प्रावधान के अनुसार)	Smt/Km/Shri
3. पिता का नाम (हिन्दी में)	श्री	4. पिता का नाम (अंग्रेजी में)	Shri
5.पति का नाम (हिन्दी में)	श्री	6. पति का नाम (अंग्रेजी में)	Shri
7.वर्ग	सा0 / अ0ज0जा0 / अ0जा0 / अ0पि0व0	8. मोबाईल नं0*	+ 9 1
9.बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)	(a) बैंक का नाम	(b) बैंक शाखा	
	(c) IFSC कोड	(d) बैंक खाता संख्या	
10. मुखिया का आधार कार्ड नं0		11. लिंग (म0/पु0/अन्य)	12. पेशा/व्यवसाय

भाग–ख

1.जन्म तिथि	/ /		वर्तमान आयु	वर्ष
2. वर्तमान निवास विवरण	(a) मकान संख्या		(b) बिल्डिंग/अपार्टमेंट/सड़क	
	(c) सेक्टर/खण्ड/मोहल्ला		(d) लैण्डमार्क	
	(e) वार्ड संख्या		(f) नगरीय क्षेत्र का नाम	
	(g) जिला का नाम		(h) पिन कोड	
3. स्थायी निवास विवरण	(a) मकान संख्या		(b) बिल्डिंग/अपार्टमेंट/सड़क/ग्राम का नाम	
	(c) सेक्टर/खण्ड/मोहल्ला/ग्राम पंचायत		(d) लैण्डमार्क/विकास खण्ड	
	(e) तहसील		(f) जिला का नाम	
	(g) नगर क्षेत्र का नाम		(h) पिन कोड	
4. यदि पूर्व में कोई राशन कार्ड निर्गत है, तो उसका विवरण			5. नागरिकता	

6. परिवार का विवरण

क्र. सं.	सदस्य का नाम (हिन्दी में)	पिता/पति का नाम (हिन्दी में)	लिंग	मुखिया से सम्बन्ध	जन्म तिथि (dd/mm/yyyy)	आधार संख्या	सदस्य की कुल वार्षिक आय
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
					__/__/____		
योग (सकल संसाधनों से परिवार की कुल वार्षिक आय रू0 में) *परिवार का आय प्रमाण–पत्र संलग्न करें							

आवेदक का हस्ताक्षर/निशानी अँगूठा

भाग–दो

निष्कासन के आधार (एक्स्क्लूजन क्राइटेरिया)

क्या आयकर दाता है ?	हाँ		नहीं	
परिवार में चार पहिया वाहन है ?	हाँ		नहीं	
परिवार में ए0सी0 है ?	हाँ		नहीं	
परिवार में 5के0वी0 एवं उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है ?	हाँ		नहीं	
परिवार के समस्त सदस्यों के पास कुल उपलब्ध सिंचित भूमि (एकड़ में)				
क्या परिवार के पास 100 वर्ग मी0 से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर निर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मी0 से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट है ?	हाँ		नहीं	
क्या मकान परिवार के पास 80 वर्ग मी0 या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान है ?	हाँ		नहीं	

परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंस की संख्या				

न्क्लूजन क्राइटेरिया (यदि निष्कासन आधार के अन्तर्गत न आते हों)

क्या व्यक्ति या उनके परिवार निम्न में से हैं –				
कुष्ठ रोग/कैंसर/एड्स से पीड़ित	हाँ		नहीं	
अनाथ/माता–विहीन बच्चे	हाँ		नहीं	
परित्यक्त महिलायें	हाँ		नहीं	
कचरा ढोने वाले/स्वच्छकार	हाँ		नहीं	
क्या परिवार जिनकी आय का वर्तमान मुख्य स्रोत निम्न में से एक है –				
भिक्षावृत्ति कराने वाले	हाँ		नहीं	
घरेलू काम–काज करने वाले	हाँ		नहीं	
जूते–चप्पल की मरम्मत करने वाले	हाँ		नहीं	
फेरी लगाने वाले/खोमचे वाले/रिक्शा चालक आदि	हाँ		नहीं	
क्या अ0जा0/अ0ज0जा0 एवं तत्पश्चात् अन्य वर्गों भूमिहीन मजदूरों के परिवार जिनके खिया दैनिक वेतनभोगी मजदूर यथा – कुली पल्लेदार इत्यादि हैं	हाँ		नहीं	
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय माण – पत्र के आधार पर)	हाँ		नहीं	
परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग (कोई सदस्य भी) अथवा मानसिक रूप । विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है।	हाँ		नहीं	
आवासहीन परिवार	हाँ		नहीं	
क्या परिवार ऐसे आवास में रहते हैं, जिसकी छत पक्की न हो	हाँ		नहीं	

भाग–तीन

लग्नक/आवश्यक (Compulsory) प्रविष्टि :–

परिवार के मुखिया की फोटो	संलग्न है		संलग्न नहीं है	
मुखिया के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति	संलग्न है		संलग्न नहीं है	
परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति	संलग्न है		संलग्न नहीं है	
परिवार का आय प्रमाण–पत्र	संलग्न है		संलग्न नहीं है	
मुखिया का निवास प्रमाण–पत्र (यदि आधार में वर्तमान पता अंकित न हो तो)	संलग्न है		संलग्न नहीं है	

आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अँगूठा

केवल सत्यापनकर्ता अधिकारी हेतु

क्या आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण की गयी हैं ?	हाँ		नहीं	
क्या आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक संलग्नक संलग्न किए गए हैं ?	हाँ		नहीं	
सत्यापनोपरान्त पायी गयी पात्रता/अपात्रता की स्थिति	पात्र		अपात्र	
राशनकार्ड निर्गमन के सम्बन्ध में संस्तुति	निर्गमन योग्य पाया गया		निर्गमन योग्य नहीं पाया गया	

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम –
मोबाईल नं0 –